

न्यायालय सहायक क्लर्क (काल्डेरे) - नीमकाथाना
फैसल/ मीरा देवी आदि


मु.न. 343/2017

10/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार पाटन से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता है। वकूलाय उभयपक्ष की विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकूलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकूलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव से वकूलाय उभयपक्ष सहमत है। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
सहायक क्लर्क
(सहायक क्लर्क) नीमकाथाना (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
जिलास राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना
1. कैलाश पुत्र घडसीराम जाति माली निवासी ढाणी कुन्डली तन डोकन तहसील पाटन
जिला सीकर। -वादीगण-

बनाम

1. मीरा देवी पत्नी माला जाति महारा निवासी रायपुर मोड तहसील पाटन जिला सीकर।
-प्रतिवादीगण-

मुकदमा नम्बर- 343/2017

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)
कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट वादीगण
नेब मुद्दई रूबरू एवं हाजरी श्री मुरारी लाल शर्मा व मधुसुदन एडवोकेट प्रतिवादीगण
के मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण
के विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम
ग भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।

.....x.....मुबलिंग.....x.....बाबत.....x.....
स मुकदमें के मय सूद बशरह.....x.....फीसदी सालाना आज
से तारीख अदायगी तक.....x.....को अदा करें। बसख्त मेरे
व मुहर अदालत के आज दिनांक 07 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।



(Signature)

दस्तखत

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

नीमकाथाना (सीकर)

	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
अर्जी दावा वकालतनामा वजह सबूत नामा वकील गवाहान कमिश्नर इजराय नामा रेक न	/		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/	
			मीजान		

इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिखाया
गो या नहीं दर्ज करना चाहिए।